उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–1
संख्या–2518 / 9–1–2020–34टीए / 19
लखनऊ : दिनांक 20 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

चूँकि, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916), जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार नगर पंचायत चरवा, जिला कौशाम्बी का गठन करने के लिये नीचे अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्र को संक्रमणशील क्षेत्र विनिर्दिष्ट करने की अधिसूचना जारी करने हेतु आपत्तियॉ और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से अधिसूचना संख्या–VIP / 23(1) / 9–1–2019–34टी.ए.–19, दिनांक 15 दिसम्बर, 2019 जारी करके गजट में प्रकाशित की गयी थी;

और चूँकि, उक्त अधिसूचना के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों का निस्तारण शासनादेश संख्या–1520 / 9–1–2020–34टी0ए0 / 19, दिनांक 11 नवम्बर, 2020 द्वारा निस्तारण कर दिया गया है;

अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा 3 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, क्षेत्र की जनसंख्या, उनमें जनसंख्या घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए जनित राजस्व, कृष्येतर कार्यकलापों में नियोजन का प्रतिशत और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करती है कि स्थानीय क्षेत्र, जिसकी सीमाएं नीचे अनुसूची में दी गयी है, भारत का संविधान के भाग नौ–क के प्रयोजनार्थ संक्रमणशील क्षेत्र होगा और उक्त संक्रमणशील क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत का गठन किया जायेगा, जिसे नगर पंचायत, चरवा, जिला–कौशाम्बी के रूप में जाना जायेगा।

अनुसूची

नगर पंचायत, चरवा, जिला–कौशाम्बी का प्रादेशिक क्षेत्र :–

क0सं0	ग्राम का नाम	गाटाओं का विवरण
1	2	3
1	चरवा	01 से 3228

नगर पंचायत चरवा जिला–कौशाम्बी की चौहद्दी :–

पूरब चौहद्दी के ग्राम– सैयद सरावॉ ग्राम की सीमा।
दक्षिण चौहद्दी के ग्राम– महगॉव ग्राम की सीमा।
पश्चिम चौहद्दी के ग्राम– समसपुर ग्राम की सीमा।
उत्तर चौहद्दी के ग्राम– चक बाड़ापुर हरदुआ खास पनसावर ग्राम की सीमा।

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–2518(1)/9–1–2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना के अतिरिक्त एक अंग्रेजी प्रारूप सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट के भाग–4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर उसकी 50–50 प्रतियां शासन को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र मणि त्रिपाठी)
उप सचिव।

संख्या–2518(2)/9–1–2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना के एक अंग्रेजी प्रारूप सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) आयुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
(2) जिलाधिकारी, कौशाम्बी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को एक स्थानीय समाचार पत्र और राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
(3) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, लखनऊ।
(5) निदेशक, जनगणना निदेशालय, भारत सरकार, अलीगंज, लखनऊ।
(6) निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 लखनऊ।
(8) नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र मणि त्रिपाठी)
उप सचिव।

Uttar Pradesh Shasan
Nagar Vikas Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no- 2518/9-1-2020-34TA/19 dated December 20 , 2020.

NOTIFICATION
No-2518 /9-1-2020-34TA/19
Lucknow- Dated December 20 , 2020

WHEREAS notification no.-VIP/23(1)/IX-1-2019-34T.A.-2019 dated December 15, 2019 was issued and published in the Gazette with a view to inviting objections and suggestions for issuance of notification for specifying the area mentioned in the Schedule below as the transitional area for constituting Nagar Panchayat Charva in District Kaushambi as required under sub-section (1) of section 4 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no 2 of 1916); hereinafter referred to as the said Act;

AND WHEREAS objections and suggestions received in pursuance of the said notification were disposed of vide Government order no- 1520/9-1-2020-34TA/19, dated November 11, 2020;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution read with section 3 of the said Act, the Governor having regard to the population of the area, the density of population therein, the revenue generated for the local administration, the percentage of employment in non-agricultural activities and the economic importance is pleased to specify that the local area the limits of which is given in the Schedule below, shall be a transitional area for the purpose of Part IX-A of the Constitution of India and there shall be constituted for the said transitional area a Nagar Panchayat to be known as Nagar Panchayat Charva in District Kaushambi.

SCHEDULE

Territorial area of Nagar Panchayat Charva in District Kaushambi :-

Sr. No.	Name of Village	Detail of Gatas
1	2	3
1	Chrva	1 to 3228

Boundaries of Nagar Panchayat Charva in District Kaushambi:-

East Boundary Village- Saiyad sarawan village boundary
South Boundary Village- Mahgaon village boundary
West Boundary Village- Samaspur village boundary
North Boundary Village- Chak barapur Hardua Khas Pansawar village boundary.

(Deepak Kumar)
Principal Secretary